न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

[illegible] एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 181 / 09 / टीआई

गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र स्व. श्री बालुराम आयु 58 साल जाति ब्राह्मण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

ब ना म

1. संतोष देवी बेवा रामावतार
2. महेश कुमार पुत्र रामावतार
3. मुकेश कुमार पुत्र रामावतार
4. सुमन पुत्री रामावतार
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. पटवारी, पटवार हल्का, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. उप पंजीयक, दांतारामगढ़ जिला सीकर
8. तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री सी.एम. शर्मा वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय   दिनांक– 14.02.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में विवादित भूमि ख.नं. 834, 932, 933, 973, 973 / 3754, 974, 831 किता 7 कुल रकबा 2.59 है0 अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियां प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां है राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 के अनुसार उक्त कृष्षि भूमियों में प्रार्थी गोपाल एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पिता रामावतार दोनों के संयुक्त रूप से गोपाल व रामावतार पिता बालुराम जाति ब्राह्मण बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज था परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पिता रामावतार का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त स्व. रामावतार की खातेदारी की भूमियां जरिये ना.करण सं. 1666 दिनांक 03.6.2009 विरासत के आधार पर इनके नाम दर्ज हो गये। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

बालूराम

↓

गोपाल उर्फ रामगोपाल रामावतार (फौत)

↓

संतोषदेवी महेशकुमार मुकेशकुमार सुमन
(बेवा) (पुत्र) (पुत्र) (पुत्री)

उक्त भूमियां संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। इन भूमियों बाबत इनके मध्य किसी प्रकार से विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। पक्षकारान अंदाज से अलग अलग काश्त कर लिया करते थे। उक्त दोनों लोगों ने अपने संयुक्त नाम से भूमि ख.नं. 973/3754 में बने शामलाती कुये पर विद्युत कनेक्शन भी संयुक्त रूप से ले रखा है जिसके विद्युत बिलों का भुगतान भी संयुक्त रूप से किया जाता रहा है तथा पक्षकारान ने अपने शामलाती कुये पर आवागमन के लिये सदैव से मुख्य सड़क खाटू से अलोदा से जुड़े खसरा नं. 831 की उतरी सीमा से होता हुआ शेष खसरा नं. की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे करीब 20 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर कायम कर रखा है परन्तु अकस्मात माह अक्टूबर, 2008 में आवेदक के भाई अर्थात् अनावेदिका सं. 1 के पति एवं अनावेदक सं. 2 ता 4 के पिता रामावतार का स्वर्गवास हो गया जो कि बहुत ही शांतिप्रिय एवं आवेदक की बात पर कायम रहने वाला व्यक्ति था जिसके जीवनकाल में आवेदक को उक्त भूमियों की शामिल में काश्त करने में कोई परेशानी नहीं हुई। स्व. रामावतार की मृत्यु उपरान्त अब अनावेदकगण सं. 1 ता 4 ने आपस में साज कर आवेदक को उक्त भूमि के हक हिस्से से वंचित रखने की गरज एवं बिना विधिवत बंटवारा किये ही उक्त भूमियों के खसरा नं. 831 जो कि खाटू से अलोदा जाने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से उसके बाजार भाव अधिक है इसलिए अनावेदकगण के मन में बेईमानी आ गई तथा बंटवारा करने की बात कहीं तो आवेदक को झूठा आश्वासन देते रहे तथा अब स्पष्ट इंकार हो गये इसलिये अब न्यायालय के माध्यम से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर संपूर्ण भूमि में से खसरानं. 831 की उतरी सींव से होता हुआ शेष खसरा नं. की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे खसरा नं. 973/3754 में बने शामलाती कुये तक 20 फीट चौडा रास्ता संयुक्त रूप से दोनों के हिस्से में से छोड़कर शेष भूमि संपूर्ण में से आवेदक के हिस्सा 1/2 भूमि की अलग से नींव सींव कायम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अनावेदक सं. 1 ता 4 ने विपरीत परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाने की गरज से अनावेदक सं. 1 ता 4 आपस में साज कर सड़क के पास एवं अधिक उपजाऊ भूमियों पर जबरन कब्जा कर हड़पना चाहते है तथा कम उपजाऊ एवं सड़क से दूर की भूमि आवेदक को देना चाहते है। चूंकि सड़क के पास की भूमि के बाजार भाव अत्यधिक है इसलिए अनावेदक सं. 1 ता 4 के मन में बेईमानी आ गयी तथा विगत कुछ दिनों से

उपखण्ड अधिकारी

भूमाफिया गिरोह से मिलकर उक्त शामलाती भूमियों का विशिष्ट भूभाग पर बिना बंटवारे के ही अजनबी व्यक्तियों को भूमियां बेचान करने एवं उन्हें लाठी एवं पैसों के बल पर जबरन बलात कब्जा करने की एवं अवैध निर्माण करने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने की कुयोजना बना रहे है। इस कुयोजना में सफल हो गये तो आवेदक को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना कानून में कहीं संभव नहीं है इसलिए इन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं आवश्यक है। अनावेदकगण बहुत ही तेज उग्र स्वभाग के झगड़ालू व्यक्ति है। आवेदक का इनके साथ शामिल में काश्त करना मुश्किल हो गया है जबकि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है जिसको संशोधन कर आवेदक को संपूर्ण भूमि के हि. 1/2 की मौके पर अलग नींव सींव कायम की जावें तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर संशोधन किया जाना उचित व आवश्यक है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक का सुदृढ है तथा अपूरणीय क्षति भी आवेदक को ही होती है इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियों बाबत अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे उक्त भूमियों से आवेदक को जबरन बेदखल करने, बलात् कब्जा करने, नींव सींव तोड़ फोड़ करने कच्चा पक्का निर्माण करने, रहन बेचान करने, राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति में परिवर्तन करने से हमेशा के लिये बाज रहें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 5 ता 8 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री सी. एम. शर्मा हाजिर हुए एवं बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक व अनावेदक सं. 1 के पति व अनावेदक सं. 2 ता 4 के पिता स्व. रामावतार आपास में सगे भाई थे तथा दिनांक 2911.1990 अपने पिता स्व. श्री बालूराम से प्राप्त संपूर्ण चल अचल संपतियों का भाई बंटवारा कर पांच रूपये के स्टाम्प पर पांच समाज व खानदान के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में एक दूसरे को लिख पढ समझकर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये अर्थात् समस्त जमीन, जायदाद कृषि संपदा का पांच रूपये के स्टाम्प पर भाई बंटवारा आवेदक ने स्व. रामावतार ने अपने हस्ताक्षर से उक्त बंटवारा आवेदक श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल को संभला दिया। भाई बंटवारा दिनांक 29.11.1990 से लेकर आज दिन तक संपूर्ण मकान, जमीन जायदाद कृषि संपदाओं पर आवेदक अपने हक हिस्से की संपदाओं पर काश्त एवं आवास निवास करता आ रहा है तथा भाई बंटवारा अनुसार स्व. रामावतार अपने जीवनकाल तक भाई बंटवारे अनुसार ही अपने हक हिस्से में आयी संपदाओं का उपयोग उपभोग आवास निवास करता रहा है तथा उनकी मृत्युपरान्त उनके वारिसान अनावेदक सं. 1 ता 4

उक्त भाई बंटवारे अनुसार ही आवास निवास व कब्जा काश्त करते आ रहे है। भाई बंटवारा/पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.11.1990 के अनुसार आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात में से आवेदक के हक हिस्से में खसरा नं. 932 रकबा 0.31 है0, 933 रकबा 0.51 है0 व 834 रकबा 0.48 है0 किता 3 कुल रकबा 1.30 है. में आयी तथा भाई बंटवारे से लेकर आज दिन तक आवेदक के एकल कब्जे कोश्त खातेदारी अधिकार में चली आ रही है तथा भाई बंटवारे से प्राप्त ख.नं. 831 रकबा 0.62 है0, 973 रकबा 0.64 है0 व 974 रकबा 0.01 है0 किता 3 कुल रकबा 1.27 है0 एकमात्र कब्जे काश्त खातेदारी अधिकार में स्व. श्री रामावतार के जीवनकाल में उनके हक हिस्से तथा उसकी मृत्युपरान्त उनके वारिसान अनावेदक सं. 1 ता 4 के हक हिस्से में चली आ रही है। खसरा नं. 973/3754 रकबा 0.02 है0 कुआ भाई बंटवारे अनुसार आवेदक एवं आवेदक के छोटे भाई स्व. रामावतार के बराबर बराबर हक हिस्से में चली आ रही है। विद्युत सम्बन्ध भी दोनो भाईयों ने मिलकर लगाया तथा विद्युत बिल भी 1/2 1/2 हिस्से में अदा करते रहे लेकिन स्व. रामावतार के जीवनकाल में ही उक्त कुआ सुख गया था तथा आवेदक ने अलग से एक बोरिंग का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार कुल में आवेदक का 1/2 हक हिस्सा व 1/2 हक हिस्सा अनावेदक सं. 1 ता 4 का वर्तमान में है लेकिन कुए में पानी सुख गया है। आवेदक व उनके भाई स्व. रामावतार के जीवनकाल में कोई विवाद नहीं हुआ है लेकिन स्व. रामावतार की दिनांक 26.10.2008 को अकस्मात मृत्यु हो गयी। उक्त परिस्थिति का अनुचित फायदा लेने की गर्ज से आवेदक एवं उनका परिवार आतुर है तथा येनकेन प्रकारेण अनावेदकगण की हक हिस्से की विकसित कृषि आराजियात को हड़पने की नियत से भाई बंटवारे को नजरअंदाज कर बाला बाला आवेदन प्रस्तुत कर दिया जो चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जवाब आवेदन की मद सं. 9 में वर्णित अनुसार भाई बंटवारा दिनांक 29.11.1990 के अनुसार विवादित आराजियात में से ख.नं. 831, 973, 974 संपूर्ण तथा ख.नं. 973/3754 के 1/2 भाग का उतरदाता अनावेदक सं. 1 ता 4 अलग से खातेदार काश्तकार उदघोषित कर राजस्व रिकार्ड में भाई बंटवारे अनुसार अमल दरामद करवाने तथा अनावेदन सं. 1 ता 4 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। अगर आवेदक एवं उनका परिवार अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अनावेदक सं. 1 ता 4 को असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी किसी भी रूप में संभव नहीं होगी इसलिए उक्त वर्णित कृषि आराजियात पर अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश फरमाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब आवेदन मय काउंटर पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जाकर जवाबदाता के भाई बंटवारे में आई भूमि ख.नं. 831, 973, 974 संपूर्ण व ख.नं. 973/3754 के 1/2 भाग से अनावेदकगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने, उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने व गलत खातेदारी की आड़ में उक्त भूमियों को वादी किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने

श्री

से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से बाज रहे। वकील प्रार्थी ने काउंटर आवेदन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के पिता स्व. बालूराम की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों बाबत कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है ना ही स्टाम्प लिखावट पर आवेदक ने कोई हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की है। प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के विशिष्ट भूभाग जिसकी बाजार कीमत अत्यधिक है उसको हड़पने की दुर्भावना से अनावेदकगण द्वारा साजशी फर्जी एवं कूटरचित है जिसका आवेदक के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 4 के पूर्व रामावतार के मध्य विवादित भूमियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही आवेदक ने किसी प्रकार का पारिवारिक बंटवारे के स्टाम्प लिखावट पर अपने हस्ताक्षर किये है। वस्तुस्थिति यह है कि भूमि खसरा नं. 831 रकबा 0.62 है. स्व. रामावतार के जीवनकाल से ही उसकी सहमति से प्रार्थी के एकल कब्जे हक अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है। स्व. रामावतार ने स्वेच्छा से प्रार्थी को खसरा नं. 831 रकबा 0.62 है0 संपूर्ण अपने पिता स्व. बालूराम के जीवनकाल से संभला दिया था चूंकि उक्त खसरा नंबर मुख्य सड़क मार्ग पर था तथा पुराने जमाने में मुख्य मार्ग से आवारा पशुओं का एवं अजनबी व्यक्तियों का काफी आवागमन रहता था इसलिए खसरा नं. 831 की भूमि पर आवारा पशुओं तथा फसल चोरी का भय हमेशा बना रहता था जिससे बचने के लिये स्व. रामावतार ने उक्त खसरा नं. को जान बुझकर प्रार्थी को संभला दिया परन्तु काफी समय गुजरने के बाद उक्त मुख्य मार्ग पर पुख्ता सड़क का निर्माण हो जाने से वर्तमान में इसके बाजार भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हो चुकी है जिसकी जानकारी स्व. रामावतार के वारिशों को होने पर खातेदारी की आड़ में भूमाफिया गिरोह के बहकावे में आकर काल्पनिक एवं बनावटी रूप से फर्जी पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.11.1990 की झूंठी कहानी बनाकर प्रार्थी से उक्त खसरा नं. 831 रकबा 0.62 है. संपूर्ण हड़पना चाहते है जबकि राजस्व रिकार्ड में आज भी उक्त खसरा नं. की भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज चला आ रहा है। स्व. रामावतार की मृत्यु उपरान्त अनावेदकगण सं. 1 ता 4 अपने दादा स्व. बालूराम के संयुक्त हिन्दू परिवार की सारी मान मर्यादाएं समेट कर ताल मेमं रख चुके है तथा अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये फर्जी स्टाम्प लिखावट तैयार कर आवेदक को पिता स्व. बालुराम के खानदानको मिट्टी में मिला दिया है जबकि बालुराम बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अनावेदकगण के उक्त दुष्कृत्य को अनावेदकगण के विरूद्ध मानहानि एवं हर्जे खर्चे का वाद लाने का कानूनी अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। अतः जवाब काउंटर आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदक सं. 1 ता 4 का काउंटर आवेदन मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. वकील उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण ने आवेदन स्थगन एवं जवाब आवेदन व काउंटर आवेदन के तथ्यों को बहस के दौरान दोहराया गया।

4. हमने प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ के ख.नं. 834, 932, 933, 973, 973/3754, 974, 831 किता 7 कुल रकबा 2.59 है0 विवादित आराजियात का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 4 अपने अपने कथनों से अड़े हुए है। विवादित आराजियात का निस्तारण मूल दावा में बाद साक्ष्य/गवाहान के पश्चात् होगा। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्तनीय क्षति भी किस पक्ष को हो रही है निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए उभय पक्ष को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 834, 932, 933, 973, 973/3754, 974, 831 किता 7 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मिसल फैसल शुमार होकर मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एम.आर. बागडिया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ